

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक प. 10 (1) प्र0सु00/अनु-1/2012

जयपुर, दिनांक 30-3-20/2

:-परिपत्र:-

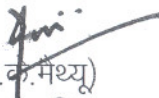
यह देखने में आया है कि राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जो पत्र प्रेषित किये जाते हैं एवं टिप्पणी/नोट निर्णयार्थ उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर प्रायः उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम एवं दिनांक अंकित नहीं किये जाते हैं तथा केवल पद नाम ही अंकित कर दिया जाता है, जब किसी कारणवश उनके पद या अन्य विवरण की जानकारी आवश्यक हो अथवा जाँच की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की पहचान नहीं हो पाती है तथा जिससे जाँच में विलम्ब होता है एवं जाँच प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रशासन के फील्ड कार्यरत कार्मिकों जैसे पटवारी, ग्राम सचिवों के मामले में इसका और भी गहरा असर होता है।

अतः शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने की दृष्टि से एवं जवाबदेही प्रशासन की धारणा को मूर्तरूप देने के लिए यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिक राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी पत्र, नोट एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक एवं अपना पूरा नाम आवश्यक रूप से अंकित करें, जिससे प्रशासन में बेहतर पारदर्शी एवं जवाबदेही स्थापित हो सके।

अन्य कार्मिक जो पत्र/आदेश आदि पर अपने पदनाम की मोहर लगाते हैं वे अपने नाम की मोहर भी अलग से पदनाम के ऊपर लगा सकते हैं अथवा नाम अंकित कर सकते हैं तथा उसके ऊपर अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर सकते हैं।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ विभागों/बोर्ड/निगम के अधिकारियों से उपयुक्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।


(सी.क.मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा0मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
10. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
11. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर-प्रचार प्रसार हेतु।
12. राक्षित पत्रावली।

(डॉ. आर.पी. जैन)
प्रमुख शासन सचिव